

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०,  
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : C-221 / बायोपरि०/आयोके०नि०/2021-22 दिनांक २१ जून, 2021

समर्पण जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रदेश में किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कुल संचालित 188982 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 15103 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये पर संचालित हो रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में संचालित कराया जाना है, जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से निम्न कार्यवाही की जानी है:-

1. (i) किराये के आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से आपके स्तर पर सर्वे अतिशीघ्र कराया जाना है, जिससे वर्तमान में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में शासकीय भवन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर उसे स्थानान्तरित किया जाना है।  
(ii) शासकीय भवनों में पर्याप्त स्थान न उपलब्ध होने अथवा नियत परिधि में शासकीय भवन न होने की दशा में निकटवर्ती शासकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में पर्याप्त स्थान होने पर किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित किया जाना है।  
(iii) शासकीय भवनों अथवा निकटवर्ती अन्य (पूर्व से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों) शासकीय भवनों में स्थानान्तरण न हो पाने की दशा में किराये के सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वर्तमान संचालन स्थल से 01 किमी० की परिधि में भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है।

यदि 15 दिन के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त विन्दुओं पर पूर्ण प्रयास के पश्चात् भी कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित होने से छूट जाते हैं तो उनके सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर केन्द्रवार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा (संलग्न)।

2. विन्दु संख्या-1 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के पश्चात् यदि कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में स्थानान्तरित होने से अवशेष रहते हैं तो ऐसे किराये के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्र में आधारभूत सुविधा यथा-स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण की उपलब्धता है अथवा नहीं (प्रारूप संलग्न) की सूचना भी उपलब्ध करायें।
3. नवीन शासनादेश संख्या-250/60-2-19-2/3(49)/05 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को किराये का भुगतान हो रहा है अथवा नहीं। यदि नवीन शासनादेश के अनुसार किराये के भुगतान में कोई समस्या है तो तथ्यों के साथ आख्या में उसका उल्लेख करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रमाण पत्र तथा आधारभूत सुविधा हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक ०५/०७/२१ तक निदेशालय में ई०मेल आई०डी०- icdsawcn2@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण एवं आधारभूत की गूगल शीट पर भी किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूचना को अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० सारिका मोहन)  
निदेशक

पृष्ठांकन:  
प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० सारिका मोहन)  
निदेशक